UPJS010031442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J.O.Code No- UP 6311

जमानत प्रार्थनापत्र सं- 1015 / 2026

1- रामकिशोर राजपूत पुत्र परशुराम

2- आशीष सिंह राजपूत पुत्र नन्द किशोर राजपूत

निवासीगण ग्राम मैगांव थाना टहरौली जिला झांसी।

- - - अभियुक्तगण

बनाम

राज्य **- - - - अभियोजक**

मु. अ. सं. 268/ 2024
धारा- 126(2) ,115(2) ,352,351(3) ,117(2)
बी. एन. एस एवं धारा 3(1) द,ध एवं धारा 3(2) 5A
एस.सी.एस.टी एक्ट
थाना- टहरौली, जिला झांसी।

दिनांक- 08. 06. 2026

1. अभियुक्तगण रामकिशोर राजपूत एवं आशीष सिंह राजपूत उपरोक्त मु. अ. सं. - 268/ 2024 अन्तर्गत धारा 126(2) ,115(2) ,352,351(3) ,117(2) बी. एन. एस. एवं धारा 3(1) द,ध एवं धारा 3(2) 5A एस.सी.एस.टी एक्ट थाना- टहरौली जिला झांसी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20. 11. 24 को शाम करीब 6. 30 बजे प्रार्थी अपने भाई हाकिम सिंह को लेने के बस स्टैण्ड से लौट रहा था तभी गांव के ही दौलत, आशीष,रामकिशोर व हरपाल ने प्रार्थी की मोटरसाइकिल रोककर गाली गलौज करने लगे तथा जब प्रार्थी ने गाली गलौज करने से मना किया तो उक्त सभी लोगो ने एक राय होकर लाठी डण्डो से प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई हाकिम सिंह की मारपीट करने लगे। इससे प्रार्थी तथा उसके भाई को गम्भीर चोटे आ गयी। प्रार्थी के चिल्लाने पर गांव के अन्य लोग इकटठा हो गए तो उक्त तीनो लोग यह कहकर भाग गए कि साले चमरा वाले आज तो तुम बच गए भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो तुम दोनो भाईयो को जान से मार देगे।

3. अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है,उन्होने कोई अपराध नही किया है। कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उक्त मुकदमा क्रांस केस का है। अभियुक्तगण घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नही थे। घटना का कोई स्वतंत्र व चश्मदीद साक्षी नही है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा कथन किया है कि अभियुक्तगण ने घटना कारित की है। उनके विरूद्ध आरोपपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.06.08 12:26:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा पर नोटिस की तामीला है।

5. **अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।**

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मु. अ. सं 271/2024 थाना टहरौली की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दोनो मामलों में घटना की तिथि व समय समान है तथा मामले का अभियुक्त रामकिशोर इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी है तथा उसने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी उसके भाई व अन्य के विरूद्ध थाना टहरौली में दर्ज करायी है। अतः यह मामला प्रथमदृष्टया क्रास केस होना प्रतीत होता है। मामले में आरोपपत्र आ गया है जिसमें 21 गवाह बनाये गए है। जिनके परीक्षण में न्यायालय को समुचित समय लगेगा। आरोपपत्र आ जाने से विवेचना को भी अभियुक्तगण द्वारा प्रभावित किए जाने की कोई सम्भावना नही है। प्रथमसूचना रिपोर्ट 09 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। इस विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध दौरान विवेचना विवेचक ने धारा 35(3) BNSS का नोटिस जारी किया था यानि कि वह दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गिरफतार नही हुए और उन्होने विवेचना में सहयोग किया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास पुलिस ने प्रस्तुत नही किया है। अभियुक्तगण ने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नही किया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है।अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी. बी. आई व अन्य (2022) 10 एस. सी. आर 351 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य याचिका अन्तर्गत धारा 528 BNSS 6400/2025 निर्णीत दिनांकित 12. 8. 2025** को दृष्टिगत रखते हुए बिना मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए हुए अभियुक्तगण का केस जमानत का सृजित होता है। तदनुसार अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण रामकिशोर राजपूत एवं आशीष सिंह राजपूत का अपराध संख्या 268/2024 अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),352,351(3),117(2) बी. एन. एस. एवं धारा 3(1) द,ध एवं धारा 3(2) 5A एस.सी.एस.टी एक्ट थाना- टहरौली जिला झांसी के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण को पूर्व में दाखिल जमानतों व बंधपत्रों पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक- 08. 6. 26

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश, एस. सी. एस. टी एक्ट,
झांसी।